



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255776
CG-DL-E-26072024-255776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2825]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/ श्रावण 3, 1946

No. 2825]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/ SHRAVANA 3, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2963(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती रितु हेमनानी, उप समाहर्ता, जिला - रायगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार को श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, दो वर्ष की अवधि के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/114/2021-जीपी-II (ई-40029)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2963(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Ritu Hemnani, Deputy Collector, District - Raigarh, Government of Chhattisgarh in place of Shri Dilip Kumar Agrawal, Upper Collector (Retried), Chhattisgarh Administrative Service to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on deputation basis, for a period of Two Years, for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Chhattisgarh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/114/2021-GP-II (E-40029)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.